

प्रेषक,

श्री अतुल कुमार गुप्ता,  
सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष,  
समस्त विकास प्राधिकरण,  
उत्तर प्रदेश।

आवास बन्धु

लखनऊ : दिनांक 20 जुलाई, 2000

**विषय : अग्निशमन अवस्थापना के लिये भूमि की व्यवस्था।**

महोदय,

गृह पुलिस विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रदेश के विभिन्न अंचलों में अग्निशमन केन्द्र खोले जाने के प्रस्ताव उनके विभाग को समय-समय पर प्राप्त होते रहते हैं, जिसके लिये भूमि की आवश्यकता पड़ती है परन्तु नगरीय क्षेत्रों में आवासीय कालोनियां पूरी तरह विकसित हो जाने के उपरान्त वहाँ अग्निशमन व्यवस्था के लिये जब अनुरोध प्राप्त होता है तब उस स्टेज में इन केन्द्रों के लिये भूमि की व्यवस्था किया जाना अपेक्षाकृत कठिन हो जाता है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आवास एवं विकास परिषद व विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित की जाने वाली योजनाओं में नियोजन के समय (महायोजनाओं/जोन प्लान ले-आउट प्लान में) अग्निशमन केन्द्र के लिये मानकों के अनुसार भूमि की व्यवस्था अन्य सामुदायिक सुविधाओं तथा स्कूल, अस्पताल, पोस्ट आफिस, पार्क आदि की भांति सुनिश्चित की जाय तथा चिन्हित किये गये भूखण्डों के विवरण गृह पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश शासन को समय-समय पर उपलब्ध कराये जायं। आपसे यह भी अपेक्षा है कि आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी योजनाओं में अग्निशमन केन्द्र हेतु कितने भूखण्ड चिन्हित किये गये हैं, कितने भूखण्ड आवंटित किये जा चुके हैं तथा कितने भूखण्डों पर अग्निशमन केन्द्र स्थापित हो चुके हैं, की सूचना पूर्ण विवरण सहित शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,  
अतुल कुमार गुप्ता  
सचिव।

संख्या-3322(1)/9-आ-1-2000 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, गृह पुलिस अनुभाग-8 को उनके पत्र संख्या-1538/छ:-पु0-8-2000-95-2000, दिनांक 22 जून, 2000 के संदर्भ में।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश फायर सर्विस, लखनऊ।

भवदीय,  
अतुल कुमार गुप्ता  
सचिव।